

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

नारायण

बनाम

हीरामाता

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 108/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
26/06/23	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>नारायण पिता सीताराम गाडरी</u> <u>मांगू पिता कालु जी गाडरी</u></p> <p>निवासी- <u>गिलुंड</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>गिलुंड</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>2163 2170</u> <u>2164 2165 2169</u> <u>0.16 0.32</u> <u>0.44 0.52 0.34</u></p> <p>कुल कीतां <u>5</u> कुल रकबा <u>1.7800</u> है० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>गिलुंड</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>2163 2170 2164 2165 2169</u> <u>0.16 0.32 0.44 0.52 0.34</u></p> <p>कुल कीता <u>5</u> रकबा <u>1.7800</u> है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1500=₹</u> रूपये अक्षरे <u>एक हजार पांच सौ</u> प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(राजचन्द्र खटीक) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़</p>